श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर के नेतृत्व में दिनांक 05.02.2014 को मंडल कारा, मुंगेर का किए गए निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी :-

घटनाक्रम :-

अधोहस्ताक्षरी के ज्ञापांक 227/गो0, दिनांक 29.01.2014 द्वारा माह फरवरी, 2014 के अग्रिम भ्रमण कार्यक्रमानुसार दिनांक 05.02.2014 के पूर्वाह्न अपर जिला दंडाधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला खेल पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, भवन/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल/विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल/अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ मंडल कारा, मुंगेर का निरीक्षण किया गया।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार सिविल सर्जन, मुंगेर के नेतृत्व में मंडल कारा, मुंगेर में संसीमित बंदियों की चिकित्सीय जाँच हेतु आज ही एकदिवसीय शिविर का आयोजन किया गया एवं आवश्यकतानुसार उन्हें दवाएँ भी उपलब्ध कराई गई।

परिचय :-

अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर द्वारा बताया गया कि संक्षिप्त रूप से कारान्तर्गत निम्नप्रकार वार्ड अवस्थित है :-

कारा में कक्षों की संख्या	:-	16
अस्पताल वार्ड की संख्या	:-	01
अस्पताल वार्ड में कक्षों की संख्या	:-	04
महिला वार्ड की संख्या	:-	01
महिला कक्षों की संख्या	:-	02
नवनिर्मित कक्षों की संख्या	:-	12

स्थापना :-

मंडल कारा, मुंगेर में वर्तमान में पदस्थापित पदाधकारियों/कर्मियों की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत्	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	अधीक्षक	1	1	0	
2	चिकित्सा पदाधिकारी	2	0	2	सदर अस्पताल, मुंगेर से 02 चिकित्सक प्रतिनियुक्त
3	उपाधीक्षक	1	1	0	
4	सहायक अधीक्षक	4	0	4	
5	मिश्रक	2	0	2	
6	ड्रेसर	2	2	0	
7	लिपिक	2	1	1	
8	मुख्य उच्च कक्षपाल	1	0	1	
9	उच्च कक्षपाल	11	1	10	
10	कक्षपाल एवं अन्य (एक महिला कक्षपाल सहित)	100	20	80	
11	लेखापाल	1	0	1	
12	नाई	2	0	2	दैनिक मजदूरी पर एक
13	सफाईकर्मी	10	0	10	दैनिक मजदूरी पर छह
14	गृहरक्षक	39	39	0	
15	भूतपूर्व सैनिक-सह-कक्षपाल	1	1	0	

विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा को निदेश दिया गया कि वे अधोहस्ताक्षरी के स्तर रिक्तियों के संबंध में एक विवरणी कारा महानिरीक्षक, बिहार को भेजते हुए पदस्थापन का अनुरोध करेंगे।

बंदियों की विवरणी :-

मंडल कारा, मुंगेर में दिनांक 05.02.14 को संसीमित बंदियों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्षमता	पुरूष	महिला	कुल
	582	32	614
संसीमित बंदियों की संख्या			
सिविल बंदी	01	00	01
विचाराधीन बंदी	376	05	381
सत्र बंदी	187	04	191
साधारण बंदी	03	00	03
सश्रम बंदी	33	00	33
कुल	**600**	**09**	**609**

उपरोक्त पदाधिकारियों की उपस्थिति में मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था एवं काराधीन बंदियों की मूलभूत सुविधाओं, यथा-स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत इत्यादि का गहन निरीक्षण किया गया एवं तदालोक संबंधित पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिया गया :-

1) भवन निर्माण :-

मंडल कारा, मुंगेर किला परिसर के अंदर अवस्थित है। जेल के अन्दर मुख्य भवन एवं चहारदिवारी मीर कासिम के समय का ही माना जाता है। काराधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि कारा में कुल 08 प्रकोष्ठ है, जिसमें 04 पूरी तरह जीर्ण-शीर्ण हो चुका है एवं 04 प्रकोष्ठ की मरम्मति की जा रही है, जिसमें चापाकल एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है। कारा में कुल 16 कक्ष हैं, जिसमें 14 कक्षों में बंदी आवासित है। इन कक्षों की खिड़कियों के छड़ एवं दीवार की मरम्मति एवं रंगाई-पुताई एवं 03 कक्षों की मरम्मति आवश्यक है। वर्तमान में कक्ष संख्या 01 में मरम्मति कार्य प्रगति पर है।

अधोहस्ताक्षरी एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में मंडल कारा परिसर के सभी भवनों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई जीण-शीर्ण भवनों, नव निर्माणाधीन भवनों/बैरकों एवं अन्य सुविधाओं के निरीक्षणोपरान्त मरम्मति एवं अन्य कार्यो हेतु उपस्थित कार्यपालक अभियंता, भवन को निम्न निदेश दिए गए :-

1. पूर्व में मंडल कारा परिसर में अवस्थित रसोईघर के मरम्मति कार्य के उपरान्त वर्तमान स्थिति के अनुसार छत की मरम्मति कार्य किया जाना नितान्त आवश्यक है, जिसके निमित्त कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया गया कि रसोईघर को यथाशीघ्र renovate करायें एवं भोजन पकाने के दौरान फैलने वाले धुओं की निकासी हेतु एग्जॉस्ट फैन लगाना भी सुनिश्चित करें।
2. कारा प्रवेश द्वार के समीप पुराने एवं जीण-शीर्ण अवस्था में अनुपयोगी अस्तबल को तोड़कर इसमें अवशेष उपयोगी ईटों को जेल में कार्यान्वित अन्य निर्माण कार्यो में लगाने का निदेश कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को दिया गया।
3. निरीक्षण के समय रसोईघर में उपयोग में लाई जा रही खाद्य सामग्री क्रमशः हल्दी, धनिया, चायपत्ती एवं तिलकुट के खराब गुणवत्ता के कारण इनकी जाँच हेतु श्री रमेश कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि सैम्पल के तौर पर उक्त खाद्य पदार्थो की मात्रा लेकर जाँच हेतु यथाशीघ्र भेजें। इन्होंने सैम्पल लिया भी। इन्हें फलाफल से शीघ्र अवगत कराने का निदेश दिया गया।

4. नए निर्माणाधीन रसोईघर की अत्यधिक लंबाई होने के निमित्त अधोहस्ताक्षरी ने सुझाव दिया कि उक्त कमरे को दो बराबर भागों में विभाजित कर सुविधानुसार एक भाग को रसोईघर एवं दुसरे भाग को कॉमन रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाना श्रेयस्कर होगा।
5. अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जेल के पीछे वाली चहारदिवारी, जो पूर्व में मिट्टी से बनाया गया था, कमजोर हो गया है एवं उसकी उँचाई भी कम है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से उक्त चहारदिवारी के निर्माण एवं उँचाई बढ़ाने हेतु प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे ताकि कारामहानिरीक्षक, बिहार, पटना को इससे अवगत कराया जा सके।
6. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर एवं अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर संयुक्त रूप से जेल परिसर के सभी भवनों का गहन निरीक्षण कर अनुपयोगी सामग्रियों, जीर्ण-शीर्ण अवस्था की खिड़कियों/दरवाजों की नीलामी कर परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की दिशा में अग्रत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
7. जिन-जिन भवनों की छतों एवं दीवारों पर झाड़ियाँ तथा पेड़-पौधे उग आए हैं, जिसके कारण भवन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उन सभी को चिन्हित कर उसकी सफाई कराते हुए क्षतिग्रस्त भवनों/दीवारों की मरम्मति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर अविलम्ब सुनिश्चित कराएँगे।
8. बैरक नं0-9, जिसे वर्तमान में लैबोरेटरी में परिणत किया जा रहा है, में चल रहे निर्माण कार्यो को 15-20 दिनों में समाप्त कर पूर्ण करने का आश्वासन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा दिया गया।
9. निरीक्षण के दौरान वर्तमान रसोईघर के समीप बंद पड़े गोदाम में 18 अनुपयोगी Indane कम्पनी का कुल 18 गैस सिलेन्डर तथा गैस जेनरेट करने का उपकरण पाया गया। इसके अतिरिक्त बैरक नं0-12 के बगल वाले कमरे में भी लगभग 08 अनुपयोगी गैस सिलेन्डर पाया गया। काराधीक्षक को निदेश दिया गया कि उक्त अनुपयोगी गैस सिलेन्डरों को dispose off करने की नियमानुकूल कार्रवाई अविलम्ब की जाए।
10. बैरक नं0-12 के सामने गिरे हुए पुराने बेल के पेड़ को यथाशीघ्र हटाने का निदेश कार्य0 अभि0, भवन प्रमंडल को दिया गया।
11. नवनिर्मित सेल का निर्माण कार्य एक सप्ताह में निश्चित रूप से पूर्ण कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को दिया गया।
12. जेल के अंदर अवस्थित मंदिर के सामने बेकार पड़े हुए शौचालय को demolis कर उसमें लगे लोहे का इस्तेमाल अन्य कार्यो में करने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया।
13. यह स्थिति काफी दुःखद है कि जेल के अंदर जिम उपकरण अधिष्ठापित कराने हेतु छाबड़ा स्पोर्ट्स एजेन्सी को जिम उपकरण के आपूर्त्ति के उपरान्त दिनांक 04.02.2013 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कुल भुगतेय राशि 80,000/- (अस्सी हजार रू0) का भुगतान कर दिया गया, जबकि अभी तक उक्त एजेन्सी द्वारा जिम उपकरण अधिष्ठापित कर चालू नहीं कराया गया है। इस हेतु जिला खेल पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि छाबड़ा स्पोर्ट्स एजेन्सी द्वारा आपूर्त्ति किए गए जिम उपकरणों का

अधिष्ठापन खाद्य सामग्री रखे हुए कमरे में स्थानीय जिम ट्रेनर से कराना सुनिश्चित किया जाए। अधीक्षक जेल, खाद्यय सामग्रियों को यहाँ से एक–दो दिनों के अंदर हटाकर अन्यत्र रखे खाद्यय पदार्थो के साथ भंडारित कराना सुनिश्चित करेंगे। विदित हो कि रेडक्रॉस सोसाईटी, मुंगेर ने बंदियों के मनोरंजन हेतु कैरम बोर्ड उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है, जिसके लिए सचिव, रेडक्रॉस सोसाईटी, मुंगेर से सम्पर्क कर प्राप्त कर लिया जाए।

14. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया गया कि माह में दो बार कारा का निरीक्षण कर कार्यो की गुणवत्ता एवं वंचित सुविधाओं से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
15. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया गया कि वे निदेशित सभी कार्यो से संबंधित मास्टर प्लान एवं प्राक्कलन तैयार कर अनुमानित व्यय की राशि से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराऐंगे ताकि आवश्यकतानुसार आवंटन की माँग कारा महानिरीक्षक से की जा सके।

2) अस्पताल

निरीक्षण के समय काराधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर द्वारा बताया गया कि अस्पताल में कक्षों की संख्या 04 है, जिनमें 02 कक्षों का शौचालय पूरी तरह टूट कर गिर गया है जिसमें उसका उपयोग संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही अन्य कक्षों की छड़े, खिड़की एवं दरवाजे की मरम्मति आवश्यक है। कारा अस्तपाल कक्ष में वर्तमान में 17 बीमार बंदी संसीमित हैं। बंदियों की देख–रेख हेतु सदर अस्तपाल, मुंगेर से 02 चिकित्सक, श्री सुनील कुमार सिंह (नियमित), जो सोमवार, बुधवार, वृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार एवं डॉ0 शाहिद वसीम, जो मंगलवार, शनिवार तथा तत्क्षण चिकित्सीय सेवा देने के लिए प्रतिनियुक्त हैं, जो एक्स–रे रूम में बैठकर चिकित्सीय सेवा प्रदान करते हैं।

16. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों की सहमति से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार (अवकाश दिवस होने पर अनुवर्ती तिथि) को कारा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर सभी बंदियों की चिकित्सीय जाँच की जाए। उक्त कार्य की पूर्ण जिम्मेवारी सिविल सर्जन, मुंगेर की होगी।
17. जेल परिसर के अंदर एवं बाहर नियमित साफ–सफाई कराने का निदेश नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर एवं काराधीक्षक, मुंगेर को दिया गया।
18. बीमार कैदियों को अस्पताल भवन के उपरी तल पर आवासन की व्यवस्था हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया गया कि उपरी तल के कमरे के बगल में बने गड्ढे एवं क्षतिग्रस्त खिड़की, दरवाजे की मरम्मति कराने के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।
19. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर के सहयोग से अस्पताल में आवश्यकतानुसार बेड, गद्दा, चादर इत्यादि का आकलन कर नियमानुसार क्रय की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
20. अस्पताल निरीक्षण के क्रम में कई कमरों में बेकार एवं अनुपयोगी चिकित्सीय उपकरण, एक्स–रे मशीन आदि रखा हुआ पाया गया। इस संबंध में सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेश दिया गया कि ऐसे कमरों की

पहचान कर कमरों को उपयोगी बनाने हेतु बेकार पड़े चिकित्सीय उपकरणों की नीलामी कर राशि संबंधित मद में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।

21.काराधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर द्वारा अनुरोध किया गया कि अस्पताल जाने के रास्ते में पहुँच पथ का निर्माण अत्यावश्यक है।

3) शौचालय :-

काराधीक्षक, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि कारा में कुल 72 शौचालय हैं, जिसमें से मात्र 10 शौचालय ही चालू हालत में है तथा भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन 10 शौचालय का कार्य अब तक अपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सभी कक्षों में रात्रि शौचालय है जिसकी मरम्मति किया जाना अत्यावश्यक है। निरीक्षण अवधि में परिलक्षित समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को निम्न निदेश दिए गए :-

22.जेल परिसर में अवस्थित कई शौचालयों के दरवाजे क्षतिग्रस्त हैं एवं कई में दरवाजे ही नहीं हैं। इन सभी शौचालयों का भौतिक सत्यापन कर उसकी मरम्मति कराना सुनिश्चित किया जाए।

23.10 यूनिट के शौचालय का पैनल के अनुरूप 15 दिनों के अन्दर पुराने अनूपयोगी शौचालयों को demolis कर नए निधि से शौचालय निर्माण का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को दें।

4) पेयजलापूर्त्ति :-

काराधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर द्वारा बताया गया कि कारा में जलापूर्त्ति हेतु 12 चापाकल में 05 ही कार्यरत् है तथा शेष चापाकलों की मरम्मति वर्तमान समय में अत्यावश्यक है। इसके अलावे गंगा नदी एवं कारा के बाहर स्थित समरसेबुल पम्प से जलापूर्ति की व्यवस्था है। इसके बावजूद जलापूर्त्ति की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। खाना बनाने एवं शौचालय उपयोग हेतु पानी की समस्या निरंतर बनी रहती है। इस परिस्थिति में कारा में कम-से-कम 02 समरसेबुल पम्प के अधिष्ठापन से पेयजल की समस्या का निदान संभव है।

24.कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर सुनिश्चित करेंगे कि कारा में बंद पड़े सभी चापाकल यथाशीघ्र कार्यरत हो जाएँ।

25.कारा प्रवेश द्वार पर अधिष्ठापित चापाकल की मरम्मति यथाशीघ्र कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर सुनिश्चित करेंगे।

26.कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि पेयजलापूर्त्ति की समुचित व्यवस्था के अनुश्रवण हेतु श्री शिवनाथ प्रसाद, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर को प्रत्येक सोमवार के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है, जो उनसे सम्पर्क नहीं करते हैं। अतः कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मुंगेर को निदेश दिया गया कि उक्त कनीय अभियंता प्रतिनियुक्ति दिवस सोमवार को मंडल कारा आने के पूर्व कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर से सम्पर्क अवश्य करेंगे।

5) विद्युत :-

27.काराधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर ने बताया कि कारा परिसर अवस्थित सरकारी आवासों एवं कारा में संसीमित बंदियों के लिए अलग-अलग विद्युत मीटर अधिष्ठापित कर विद्युत आपूर्त्ति की जा रही है जो नियमित नहीं है। इस हेतु कार्य0 अभि0, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर को निदेश

दिया गया कि कारा का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करते हुए विद्युत की नियमित आपूत्ति बहाल की जाए।

28. जेलर द्वारा बताया गया कि कारा में विद्युत तार की स्थिति काफी जीण-शीर्ण अवस्था में है तथा बार-बार विद्युत तार क्षतिग्रस्त हो जाता है जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। कारा प्रशासन द्वारा समय-समय पर विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, जो पर्याप्त नहीं है। अतः अनुरोध किया गया कि कारा परिसर में कम-से-कम दो हाईमास्क लाईट लगाने से विद्युत की समस्या का निदान हो जाएगा। कार्यपालक अभियंता उक्त कारा में विद्युत संबंधी समस्याओं एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन कर क्षतिग्रस्त/खराब विद्युत तारों को बदलकर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें।

<u>6) सुरक्षा एवं आवासन :-</u>

29. काराधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर द्वारा बताया गया कि कारा में बंदियों की क्षमता 614 के विरूद्ध वर्तमान में 609 बंदी संसीमित है, जो क्षमता अनुरूप है। विस्तृत विवरणी के अनुसार वर्तमान में कारा में 33 सश्रम कारावास बंदी है जिसमें कई वाद लंबित है तथा बंदियों के विरूद्ध वाद लंबित नहीं रहने वाले संसीमित बंदियों को केन्द्रीय कारा भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

30. कारा में एक सायरन है जिसे अलार्म की स्थिति में उपयोग में लाया जाता है।

31. सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुंगेर मंडल कारा अत्यन्त संवेदनशील है एवं उच्च कक्षपाल एवं कक्षपाल के पद पर बड़ी संख्या में रिक्तियाँ हैं। उच्च कक्षपाल के पद पर कुल स्वीकृत 11 पद में 01 कार्यरत है एवं कक्षपाल के पद पर कुल स्वीकृत 100 पद पर मात्र 20 कार्यरत् है। सहायक कारापाल के पद पर स्वीकृत 04 पद रिक्त है। ऐसी दशा में पदस्थापन हेतु कारा महानिरीक्षक से अनुरोध करने का निदेश जेल अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर को दिया जाता है।

32. जेल की संवेदनशीलता इस तथ्य से प्रभावित होती है कि पूर्व में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कई बार मुंगेर जेल के नक्सली निशाने पर होने की सूचना दी गयी है। वर्तमान में मुंगेर जेल में नक्सली वादों से संबंधित कई कैदी मौजूद हैं एवं इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नक्सली संगठनों द्वारा उन्हें छुड़ाने के लिए किसी प्रकार का ऑपरेशन/दुस्साहस करने का प्रयास किया जाए। ऐसी दशा में मुंगेर जेल की सुरक्षा के लिए तत्कालीक तौर पर सैप एवं डी0ए0पी0 की प्रतिनियुक्ति आवश्यक है जिसे सुनिश्चित करने हेतु जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, मुंगेर से अनुरोध करेंगे।

33. पूर्व से सैप के 20 जवान एवं डी0ए0पी0 के 2-8 का बल जेल में प्रतिनियुक्ति हेतु पुलिस अधीक्षक, मुंगेर द्वारा की गई थी, जिसे वापस कर लिया गया है। अतः पुलिस अधीक्षक, मुंगेर सुरक्षा के दृष्टिगत अविलम्ब सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ ही बीमार कैदियों को सदर अस्पताल या किसी अन्य बाहर के अस्पताल ले जाने के लिए आवश्यकतानुसार हमेशा साथ में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाय एवं जिले से बाहर ईलाज हेतु ले जाने की परिस्थिति में पुलिस बल के साथ

एक चिकित्सक की भी प्रतिनियुक्ति आगे से सिविल सर्जन, मुंगेर द्वारा सुनिश्चित किया जाय ताकि कम-से-कम समय तक किसी कैदी को जेल के बाहर रहना पड़े।

34. कारा में 01 डोरफ्रेम मेटल डिटेक्टर, 02 हैण्डसेक मेटल डिटेक्टर, 15 सी0सी0टी0वी0 कैमरा, 01 वाकी टॉकी उपलब्ध है, परन्तु वर्तमान में सभी सुरक्षा उपकरण खराब पड़ा हुआ है। इनकी शीघ्र मरम्मति कराने हेतु आवश्यक पहल काराधीक्षक करेंगे।

35. कारा में बेलट्रॉन, पटना द्वारा आपूर्त्ति किए गए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण भी खराब पड़ा हुआ है। निदेश दिया गया कि अधोहस्ताक्षरी के स्तर से प्रबंध निदेशक, बेलट्रॉन, पटना को मंडल कारा में संस्थापित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण के अद्यतन स्थिति की सूचना पत्र के माध्यम से भेजा जाए ताकि उक्त उपकरणों को चालू कराया जा सके।

36. वर्जित सामानों, यथा- मोबाईल फोन, गांजा, सिगरेट इत्यादि पर पूर्णतया रोक लगाने हेतु कैदियों के कोर्ट इत्यादि से वापस आने पर सघन तलाशी ली जाए। जेल महानिरीक्षक से अनुरोध किया जाए कि जेल में मोबाईल जैमर लगाने पर विचार किया जाय साथ ही सीसीटीवी कैमरों की लगातार रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की जाय।

7) रोकड़ पंजी :-

37. कारा में उपलब्ध रोकड़ पंजियों की समीक्षा के क्रम में परिलक्षित हुआ कि रोकड़ पंजी का संधारण नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। उदाहरणार्थ विभिन्न तिथियों को पारित अभिश्रव कैशबुक में रखा हुआ है, जबकि उसका वास्तविक संधारण रक्षी संचिका में तिथिवार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संधारित रोकड़ पंजी दिनांक 30.01.14 तक लिखा हुआ है, परन्तु जेल अधीक्षक द्वारा दिनांक 15.12.13 से कैशबुक में हस्ताक्षर नहीं किया गया है, जो चिंताजनक है। दिनांक 30.01.14 को 1,47,280/- (एक लाख सैतालीस हजार दो सौ अस्सी) रू0 अवशेष है।

38. प्रिजनर एकाउण्ट पंजी के अवलोकन एवं जेलर से वार्त्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि जेल में राशि की कमी होने पर कारा में सजावार एवं विचाराधीन बंदियों से ही इस मद में राशि की मांग कर जेल के नित्य व्यय की पूर्त्ति की जाती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि Permanent Advance Limit में राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु निदेश दिया गया कि Permanent Advance Limit मद में राशि को बढ़ाकर कम-से-कम 1,00,000/- (एक लाख) रू0 करने का अनुरोध पत्र कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को भेजा जाए।

39. कारा में संसीमित बंदियों द्वारा किए गए कार्यो के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध दिनांक 31.01.14 को बिल सं0 133/13-14 द्वारा मो0 2.19 लाख रू0 की निकासी की गई है, जिसमें 54,800/- (चौवन हजार आठ सौ) रू0 अपराध कल्याण न्यास विभाग, पटना को भेजना जाना है, तथा निकासी की गई शेष राशि को 21 कैदियों के खातों में स्थानान्तरित किया जाना है, जो अबतक नहीं किया गया है। इस हेतु निदेश दिया गया कि उपरोक्त कार्य तीन दिनों के अन्दर सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8) अन्यान्य :–

40. कारा में संसीमित निरक्षर बंदियों को शिक्षा की धारा से जोड़ने हेतु मंदिर परिसर में शिक्षा मुहैया कराने का बेहतर कार्य शिक्षक द्वारा किया जा रहा है। उक्त परिसर के आस–पास फैली गंदगी की नियमित सफाई कराने का निदेश काराधीक्षक को दिया गया।

41. दिनांक 18.01.2014 को श्री अफजल अमानुल्लाह, प्रभारी न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा मंडल कारा, मुंगेर के निरीक्षण के क्रम में निदेश दिया गया था कि पूर्व पदस्थापित जेलर द्वारा पूर्ण प्रभार नहीं सौंपे जाने के कारण कागजातों एवं अन्य सामग्रियों का प्रभार अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की उपस्थिति में पूर्ण प्रभार का आदान–प्रदान सुनिश्चित कराया जाए। तदालोक अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी, परन्तु आज निरीक्षण के दौरान यह ज्ञात होना अत्यन्त ही दुःखद एवं आपत्तिजनक है कि कागजातों एवं सामग्रियों का इनवेन्टरी के आधार पर प्रभार नहीं हो पाया है। पुनश्च निदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की उपस्थिति में inventory के आधार पर कागजातों एवं अन्य सामग्रियों का प्रभार एक सप्ताह में दिलाना सुनिश्चित करें।

42. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर एवं काराधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर आपसी समन्वय स्थापित कर नियमित रूप से कारा परिसर की साफ–सफाई कराना सुनिश्चित कराएँगे।

43. जेल महानिरीक्षक से यह अनुरोध किया जाए कि कारा के निरीक्षण के क्रम में पायी कमियों एवं सुरक्षा की अचूक उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें एवं कक्षपाल, सहायक कारापाल पदों पर आवश्यक तैनाती करने की भी कृपा करें ताकि मुंगेर मंडल कारा जैसे संवेदनशील जेल में किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटना होने को टाला जा सके एवं जेल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

15/2/14

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 362 /गो0, दिनांक 16.02.2014

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सिंविल सर्जन, मुंगेर/ निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मुख्यालय, मुंगेर/जेल अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल/ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल (यांत्रिक), मुंगेर/भवन प्रमंडल, मुंगेर/विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/2/14

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 362 /गो0, दिनांक 16.02.2014

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, गृह विभाग/कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर प्रक्षेत्र, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

15/2/14

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।